63 वी बोर्ड बैठक दिनांक 19.11.2004

आज दिनांक 19.11.2004 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 63वी बोर्ड बैठक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें सदस्यों एवं अधिकारियों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

1.	श्री सुभाष कुमार,आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्रीमती मनीषा पंवार, जिलाधिकारी	पदेन सदस्य
3.	श्री के0सी0मिश्रा अपर सचिव वित्त	प्रतिनिधि सदस्य
4.	श्री कुणाल शर्मा, उपाध्यक्ष,	उपाध्यक्ष
5.	श्री बृज बी0रतन, प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।	पदेन सदस्य
6.	श्री एन0के0जोशी,मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम,देहरादून ।	पदेन सदस्य
7.	श्री भजन सिंह,अधीक्षण अभियंता, जल निगम देहरादून।	प्रतिनिधि सदस्य

अन्य उपस्थितिः–

1. श्री विक्रम सिंह नेगी, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

विषय कमांक 1:– प्राधिकरण बोर्ड की 61 वीं बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या का अनुमोदन तथा परिचालन के माध्यम से पारित बोर्ड प्रस्तावों का विवरण व अनुपालन

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जिन प्रस्तावो के सम्बन्ध में अनुपालन पूर्ण नहीं हुआ है, उनके सम्बन्ध में विवरण आगामी बोर्ड बैठक में भी प्रस्तुत किया जाय।

विषय कमांक 2 :– प्राधिकरण बोर्ड की 62 वीं बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जिन प्रस्तावो के सम्बन्ध में अनुपालन पूर्ण नही हुआ है, उनके सम्बन्ध में विवरण आगामी बोर्ड बैठक में भी प्रस्तुत किया जाय।

विषय कमांक 3 :– नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तरांचल द्वारा प्रस्तुत मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत देहरादून विकास क्षेत्र की महायोजना प्रारूप –2031 पर प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया जाना।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोर्ड बैठक दिनांक 21.9.2004 में लिये गये निर्णय के कम में जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में गठित समिति ने अवगत कराया कि सामान्यता महायोजना 20 वर्ष के लिये बनाई जाती है। प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल ने अवगत कराया कि प्रस्तावित 30 वर्ष की महायोजना में 5 वर्ष के अन्तराल मे महायोजना रिव्यू किये जाने का भी प्रस्ताव है। प्रभारी अधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि जो सुझाव महायोजना के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुए थे, उनमें से केवल 21 सुझाव ही नीतिगत थे और उन सभी को प्रस्तावित महायोजना प्रारूप में यथोचित रूप से समायोजित किया गया है। विस्तृत चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि महायोजना को 20 वर्ष के लिये ही तैयार कर प्रस्तुत किया जाय और इसमें फल–सब्जी मण्डी/मार्केट, मीट मछली मार्केट, पशुबध शालाओ तथा दूध डेरियों हेतु स्थल नियत किया जाना भी सुनिश्चित किया जाय। जहॉ तक हो बाग–बगीचो के भू–उपयोग को यथावत् रहने दिया जाय।

(कार्यवाही प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग)

विषय कमांक 4 :– दून एजुकेशनल ट्रस्ट सोसाइटी, द्वारा सचिव श्री राजेश कुमार तिवारी (निम्बस एकेडमी आफ मैनेजमेन्ट) द्वारा प्रस्तुत मानचित्र स0 2785/03-04 के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि आवेदक का एम0बी0ए0 पाठयकम हेतु ग्राम झाझरा में खसरा नम्बर 552 व 573 की भूमि पर AICTE के मानको के आधार पर पहुँच मार्ग 12 मीटर के स्थान पर 3.60 मीटर होने की दशा में छूट प्रदान करनें तथा भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही वरिष्ठ सहायक अभि0)

विषय कमांक 5 :– ग्राम 'मेहरे का गॉव' के खसरा नम्बर 129,131, व 145, 146,147 पुराने व नये खसरा नम्बर 417 से 421, 430, 431, 606 से 616, 619 से 629, 631 से 636, 638 से 641, 643 से 658, 661 से 668 पर ऋषभ एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा इन्जीनियरिंग कालेज के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र संख्या 1520/04–05 में कुल भूमि 7.578 हेक्टेयर के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित स्थल तक पहुँच मार्ग 12.00 मीटर चौड़े मार्ग के स्थान पर ग्राम के अन्दर जाने वाले 6.00 से 9.00 मीटर चौड़े मार्ग में छूट प्रदान करनें तथा ग्राम 'मेहरे का गॉव' के खसरा नम्बर 129,131, व 145, 146,147 पुराने व नये खसरा नम्बर 417 से 421, 430, 431, 606 से 616, 619 से 629, 631 से 636, 638 से 641, 643 से 658, 661 से 668 पर ऋषभ एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु कृषि भू–उपयोग से सामुदायिक सुविधायें (इंजीनियरिंग कालेज) में कुल भूमि 7.578 हेक्टैयर के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही वरिष्ठ सहायक अभियंता)

विषय कमांक 6 :– गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट लि0 के साथ ज्वांट वैंचर करके कम्पनी का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि गुजरात अम्बुजा सीमेंट व मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के साथ ज्वाइंट वैंचर करने से पूर्व शिप्रा व जी0डी0ए0 में इस प्रकार के अनुबन्धों का अध्ययन करके तथा इसी प्रकार के अन्य प्रोपोजल भी आमंत्रित कर विस्तृत अध्ययन करते हुए प्रस्ताव बनाकर अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही वरिष्ठ सहायक अभियंता)

विषय कमांक 7:– देहरादून स्थित पुराना खसरा नं0 478,479,480,481 मि0 483 मि0 (नया नम्बर 1308 क) नत्थनपुर में अरबन हाट के निर्माण हेतु भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल के भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित करने के साथ–साथ भू–उपयोग परिवर्तन की स्थिति में निर्माण उपविधियों व भू–परिवर्तन शुल्क के सम्बन्ध में भी शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाय और साथ ही सम्बन्धित विभाग को यह भी अवगत करा दिया जाय कि प्रस्तावित स्थल के निकट " फोर लेन" मार्ग के निर्माण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभियंता)

विषय कमांक 8 :– ग्राम सभा चक डांडा लाखोंड के खसरा न0 105, 109, 126, 127, 131, 132, तथा 133 पर दून ब्लोसम एजुकेशन सोसायटी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र की वर्तमान लागू भवन उपविधि के मानको जैसे पोषित जनसंख्या एवं क्या एक किलोमीटर की परिधि में अन्य कोई स्कूल वर्तमान में तो नहीं चल रहा है का परीक्षण करा लिया जाय एवं यदि मानक पूरे होते है तो भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभियंता)

विषय कमांक 9 :–भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुमन्य सीमा से कम होने पर आवासीय मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि दिनांक 14.12.2002 से लागू भवन उपविधि की लागू होने की तिथि से पूर्व यदि किसी आवेदक द्वारा भूखण्ड कय किया गया हो एवं रजिस्टर्ड विकय पत्र हो तो पूर्व में लागू नियमों में अनुमन्य क्षेत्रफल के मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाय और भविष्य में आवासीय आर–3 व आवासीय आर–2 में क्षेत्रफल कमशः 125 वर्गमीटर व 100 वर्गमीटर के स्थान पर आवासीय आर–1 सहित सभी मामलों में भूखण्ड की न्यूनतम सीमा 75 वर्गमीटर नियत किये जाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही समस्त सहायक अभियंता)

विषय कमांक 10 :– मसूरी क्षेत्र के सम्बन्ध में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की दिनांक 2.6.04 को हुई बैठक में मसूरी स्थित भवनों के प्लिंथ एरिया में 10 प्रतिशत की बृद्धि के साथ अनुमोदन को समाप्त करने के सम्बन्ध में।

चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि अभी वन भूमि व गैर वन भूमि के चिन्हीकरण हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रस्तावित है,। अतः जब तक वन भूमि व गैर वन भूमि का चिन्हीकरण का कार्य पूर्ण न हो जाये तब तक गैर वन भूमि में भी अतिरिक्त 10 प्रतिशत के आच्छादन की स्वीकृति को अनुमन्य न किया जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभियंता)

विषय कमांक 11 :– मसूरी–डाईवर्जन रोड मौजा किशनपुर में पेट्रोल पम्प की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि चूंकि पेट्रोल पम्प कारगिल शहीद के परिवार वालो द्वारा लगाया जाना है। अतः विशेष परिस्थितियों में एजेण्डा में उल्लिखित विवरण के अनुसार मानको में छूट प्रदान करने हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभि0)

विषय कमांक 12 :–खसरा नम्बर 273/1 व 273/2 चक मंगलूवाला नालापानी रोड में स्कूल निर्माण हेतु भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध ।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत खसरा नम्बर महायोजना में वन प्रदर्शित होने के कारण भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभि0)

विषय कमांक 13:–ग्राम किरसाली में खसरा न0 41, 42, 43, 44 में प्रस्तावित मानचित्र सं0 0722/04–05 (यूनीशन वर्ल्ड स्कूल) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रश्नगत स्थल के आसपास खुला क्षेत्र है अतः ऐप्रोच रोड में छूट नहीं दी जा सकती । सड़क 12 मीटर पूरी करने हेतु आवेदक को सूचित किया जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभि0)

विषय कमांकः 14 :— ग्राम अस्थल के खसरा नम्बर पुराने 50, 52, 46एम तथा नये 61घ, 63घ, 65क,69, 72, 73घ में प्रस्तावित मन्दिर एवं मोनेस्टरी के भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि वर्तमान में लागू भवन उपविधि के अनुसार सड़क की चौड़ाई 12.00 मीटर होनी आवश्यक है किन्तु स्थल पर कम चौड़ी सड़क विद्यमान है व स्थल का भू—उपयोग कृषि है। कृषि क्षेत्र में मन्दिर एवं मोनेस्टरी की अनुमति व सड़क की चौड़ाई में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभि0)

विषय कमांक 15 :— जनरल महादेव सिंह मार्ग पर खसरा नम्बर 237/2 मौजा कांवली मे हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा स्थापित किये जाने वाले पैट्रोल पम्प की अनुमति के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि आवेदक को भूखण्ड की चौड़ाई में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभि0)

विषय कमांक 16:— विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता को मूल वेतन में विलय किये जाने विषयक ।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि 50 प्रतिशत महंगाई भत्तो को मूल वेतन में विलय करने पर प्रतिमाह रूपये 41,226/— तथा दिनांक 1.4.04 से दिनांक 31.10.04 तक अवशेष महंगाई भत्ते का भुगतान करने पर रूपये 2,88,582/— मात्र का अतिरिक्त व्ययभार अधिक नहीं है और विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों की भॉति महगाई भत्ते का 50 प्रतिशत उनके मूल वेतन में विलय कर वेतन भुगतान हेतु आवश्यक शासनादेश निर्गत करने हेतु शासन को संस्तुति कर दी जाय।

(कार्यवाही सचिव)

विषय क्रमांक 1– ग्राम निरंजनपुर के खसरा नं0 391/1 (मुख्य सहारनपुर रोड़ पर, सब्जी मण्डी के सामने)र आवेदक श्री अनिल कुमार गर्ग आदि द्वारा प्रस्तावित होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्धं।

उक्त प्रस्त पर चर्चा के दौरान निर्णय प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा अवगत करायया कि मार्ग विस्तार के लिए नेशनल हाईवे के मानको के अनुसार ही सड़क की चौड़ाई रखी ाी चाहिए और होटल के मामलें में स्टिल्ट्स पर पार्किग अनुमन्य नही हो सकती। अतः चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि स्टिल्टस पर पार्किग अनुमन्य न की जाय और आवेदक से मानुसार मानचित्र प्राप्त कर स्वीकृत वर्तमान में प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार कार्यवाही जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभि0)

विषय कमांक 1– व्यापार कर विभाग के देहरादून स्थित कार्यालयों हेतु निदेशक कोषागार एवं ि सेवाएं 23 लक्ष्मी रोड देहरादून स्थित परिसर में प्रस्तावित निर्माणाधीन भवन स्वीकृति के सम्बन्ध में।

चर्चा के द निर्णय लिया गया कि एजेण्डा में उल्लिखित बिन्दु संख्या 2–6 तक में शिथिलीकरण हेतु प्र शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय। इसके साथ ही भू–उपयोग परिवर्तन एवं भू–उपयोग परि शुल्क लिये जाने अथवा न लिये जाने हेतु मार्गदर्शन शासन से प्राप्त कर लिया जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभि0)

विषय कमांक 19 ग्राम आमवाला तरला में खसरा नं0 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, , 281, 282, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, , 300, 301, 303, 371, 396, 375 को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल का डिटेल सर्वे करके प्रस्ताव पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभि0)

विषय क्रमांक 20 :–ग्राम अजबपुर कलॉ के खसरा नम्बर 917 (निकट स्टेट बैंक कालोनी) में मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 917 में पूर्व मे भी दो आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप आवेदक श्री तिवारी के मानचित्र को भी स्वीकृत कर दिया जाय और यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के अन्य प्रकरणों का सर्वे करा लिया जाय और ऐसी स्थिति पाये जाने पर उनके सम्बन्ध में इसी के अनुरूप मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही कर दी जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभि0)

विषय क्रमांक 21 :–श्री मनोज शैली को प्रतिमाह 4500/– के स्थान पर 5500/–रूपये प्रतिमाह संविदा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि अभी संविदा धनराशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण अधिवक्ताओ से प्रतिमाह परफोमेंन्स का विवरण भी प्राप्त कर नियमित समीक्षा की जाय और भविष्य में संविदा शुल्क बढ़ाये जाने के साथ अधिवक्ताओ की परफोमेंस का पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही सचिव)

विषय क्रमांक 22 :–खसरा नम्बर 571 व 579 ग्राम ढाक पट्टी (प्लीजेन्ट वेली) राजपुर रोड में भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रश्नगत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि यदि स्थल के आसपास आवासीय भवन निर्मित है तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के सम्बन्ध मे एजेण्डा के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभि0)

विषय क्रमांक 23 :– श्री हेमिन्दर सिंह नेगी द्वारा मानचित्र संख्या 930/04–05 भू–उपयोग के विपरीत नदी के पाट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बैठक मे चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि सचिव स्थल निरीक्षण कर विस्तृत रिर्पोट अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही सचिव)

विषय क्रमांक 24 :– इन्दिरापुरम आवासीय योजना फेज–प्रथम में अतिरिक्त भूमि को श्रीमती आलोक प्रभा शर्मा को आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में।

चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि वर्तमान में लागू सर्किल रेट व प्राधिकरण द्वारा आंकलित कास्टिंग में से जो भी अधिक हो के आधार पर श्रीमती आलोक प्रभा शर्मा को अतिरिक्त भूमि आवंटित कर दी जाय।

(कार्यवाही सचिव)

विषय कमांक 25:–ग्राम माजरा स्थित खसरा नम्बर 413 मि0 (मुख्य शिमला बाईपास रोड) पर श्री अजीत कक्कड़ द्वारा प्रस्तावित होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तरांचल द्वारा अवगत कराया गया कि निर्णय लिया गया कि वर्तमान प्रचलित भवन उपविधि में होटल निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर होना आवश्यक है। चूंकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में भूखण्ड क्षेत्रफल अनुमन्य से कम है इसलिए इससे कम क्षेत्रफल में आवासीय भू–उपयोग में होटल निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए और प्रश्नगत स्थल के आसपास भूमि रिक्त है। अतः आवेदक को भूखण्ड क्षेत्रफल मे छूट नहीं दी जा सकती है। आवेदक को भूखण्ड क्षेत्रफल पूर्ण करने हेतु सूचित किया जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित अभियंता)

विषय कमांक 26 :– ग्राम माजरा के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर विस्तार हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में ।

विस्तृत चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि I.M.S.T द्वारा Doon Express. Com कॉल सेन्टर हेतु सम्बन्धित भूमि को भूमि अधिग्रहण से मुक्त किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 27.12.2002 के अनुसार कॉल सेन्टर का निर्माण जुलाई 2004 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है। इस कम में यह भी अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा मानचित्र स्वीकृति का आवेदन दिनांक 12.3.2004 को कर दिया गया था, परन्तु मानचित्र की स्वीकृति दिनांक 21.8.2004 को दिये जाने के फलस्वरूप आवेदक द्वारा प्राधिकरण में धनराशि रू0 41,79,453/– भी जमा की जा चुकी है और मानचित्र स्वीकृति की अवधि पांच वर्ष के लिये वैध है व मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में दिनांक 03 अगस्त, 2004 को शासन को भी अवगत करा दिया गया है। अतः विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि कॉल सेन्टर हेतु मुक्त 5.659 हेक्टेयर भूमि के अतिरिक्त 0.886 हेक्टेयर में आबादी तथा 2.823 हेक्टेयर व 0.639 हेक्टैयर में पहुँच मार्ग न होने के कारण शेष क्षेत्रफल 1.85 हेक्टेयर रहने के कारण ट्रान्सपोर्ट नगर के विस्तार हेतु उपयोगी पाये जाने पर इस शेष क्षेत्रफल 1.85 हेक्टेयर भूमि के संबंध में ही अर्जन की कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही तहसीलदार)

अनुपूरक विषय कमांक 1 :—आयुक्त/अध्यक्ष महोदय के निवास हेतु भवन किराये के सम्बन्ध में ।

चर्चा के दौरान प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष डा0 सन्धू के निवास हेतु भवन स्वामी के साथ हुये किरायेनामा की शर्तो के अनुसार ही आयुक्त /अध्यक्ष महोदय के उक्त भवन संख्या 167 बसन्त विहार फेज प्रथम के किराये रूपये 6,500/-प्रतिमाह, 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी के साथ एवं विद्युत व जलमूल्य का अतिरिक्त भुगतान माह जुलाई 2004 से प्राधिकरण द्वारा किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही सचिव)

अनुपूरक विषय कमांक 2:— श्री भगवती प्रसाद शर्मा, सहायक प्रोग्रामर की वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में।

चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि अभी पूर्व नियत धनराशि बढ़ाये जाने का औचित्य नही है।

(कार्यवाही सचिव)

अनुपूरक विषय कमांक 3 :—सम्पत्ति संख्या 18—19 तेगबहादुर रोड पर भवन मानचित्र संख्या 061/04—05 स्कूल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल के चारों ओर भवन निर्मित होने के कारण भविष्य में इसके विस्तार की सम्भावना कम है जिस कारण आवश्यक न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की पूर्ति सम्भव नही है। पूर्व में आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवर्तन/परिवर्धन का मानचित्र स्वीकृत होने की दशा में भूखण्ड क्षेत्रफल पर छूट दे दी जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभियंता)

अनुपूरक विषय क्रमांक 4:— श्री विशन सिंह बिष्ट, तहसीलदार (सेवा निवृत) की सेवा अविध बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि श्री बिशन सिंह बिष्ट, तहसीलदार (सेवा निवृत) की संविदा अवधि माह दिसम्बर 2005 तक बढ़ाने की संस्तुति के साथ सन्दर्भ शासन को भेज दिया जाय।

(कार्यवाही सचिव)

अनुपूरक विषय कमांक 5:— ग्राम माजरा, कारगी ग्रान्ट व रायपुर में भू—अर्जन से प्रभावित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण नीति विषयक है। सचिव प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय और समिति की आख्या प्राप्त कर नीति निर्धारण हेतु प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही सचिव)

अनुपूरक विषय कमांक 6:—भवन मानचित्र सं0 2797/03—04की स्वीकृति के सम्बन्ध में

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल का भू—उपयोग देहरादून नगर महायोजना में कृषि प्रदर्शित है अतः भू—उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभि0)

अनुपूरक विषय कमांक 7:— भवन मानचित्र सं0 0519/04—05 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल की सभी दिशाओं में खुला क्षेत्र है। अतः मानचित्र स्वीकृति हेतु मार्गदर्शन लेने हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभि0)

अनुपूरक विषय क्रमांक 8 :— नवयुग इन्क्लेव (इन्दिरापुरम फेज—तृतीय) में रिक्त 3 डूप्लेक्स भवनों के आवंटन के सम्बन्ध मे।

1. प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि एजेण्डा में उल्लिखित 03 आवेदको श्री मदन सिंह, श्री दीपक राय विज व श्री वृज किशोर को कमशः डूप्लैक्स भवन संख्या—18, डूप्लैक्स भवन संख्या—22 व प्रस्तावित डूप्लेक्स भवन संख्या—24 वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर आवंटित कर दिया जाय।

(कार्यवाही अनुसचिव)

अनुपूरक विषय क्रमांक 9 :– भवन मानचित्र संख्या– 209/96–97 स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग देहरादून नगर महायोजना में कृषि प्रदर्शित है अतः भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित सहायक अभि0)

अनुपूरक विषय कमांकः–10 दून माल योजना की प्रगति के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में नवीनतम प्रगति से बोर्ड की आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही वरिष्ठ सहायक अभियंता)

(कुणाल शर्मा)
उपाध्यक्ष
म0दे0वि0प्रा0देहरादून।

(सुभाष कुमार)
आयुक्त/अध्यक्ष
म0दे0वि0प्रा0देहरादून।